

मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय

संख्या. पुणे / सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11

संरक्षा शाखा, पुणे

दि. 27.08.2010

सभी संबंधित

पुणे मंडल

संरक्षा परिपत्र संख्या 02 / 2010-11

विषय – सिग्नल उपकरणों का वियोजन ।

संदर्भ – साधारण तथा सहायक नियम 1999 (पैरा 3.51-3, 14.03, 14.03-1)

सिग्नल इंजीनियरी नियमावली भाग – II (पैरा 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4)

आम तौर पर यह देखा गया कि, जब भी सिग्नल में कोई खराबी तथा सिग्नल विफल होता है तब सिग्नल उपकरणों का वियोजन कार्य के संदर्भ में उलझन कि स्थिति उत्पन्न होती है ।

ऐसी उलझन के स्थिति से बचने के लिए सभी कर्मचारियों को लिए कार्य पध्दति को सरल रूप से प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है ।

| नियम क्रं. | विवरण |
|--------------------------|---|
| सा.नि. 3.51-3 | स्टेशन मास्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रेल सेवक मरम्मत करने या किसी अन्य उद्देश्य से किसी भी काँटे, सिग्नल या उसकी फिटिंग, सिग्नल के तार या किसी अन्तर्पाशन (इन्टरलाकड) या ब्लाक गियर में हस्तक्षेप नहीं करेगा । |
| सा.नि. 14.03 | ब्लाक प्रचालन उपस्कर में हस्तक्षेप करने से पहले सहमति आवश्यक :- स्टेशन मास्टर की पूर्व सहमति के बिना, कोई रेल सेवक मरम्मत करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ब्लाक प्रचालन उपस्कर या उनके कलपुर्जों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । |
| सहायक नियम 14.03-1 | जब ब्लाक उपकरण या उसकी फिटिंग की जाँच, मरम्मत या बदलाव करना हो तो सिग्नल एवं दूर संचार विभाग का सक्षम कर्मचारी ब्लाक उपकरण की मरम्मत या बदलाव करने के दौरान प्रभावित होने वाले विभिन्न सिग्नलों का स्पष्ट रूप से विवरण देते हुए स्टेशन मास्टर को निर्धारित फार्म (सिग्नल एवं दूरसंचार) पर डिसकनेक्शन मेमो जारी करेगा । स्टेशन मास्टर इस प्रयोजन के लिए तब तक अपनी सहमति नहीं देगा, जब तक कि ब्लाक सेक्शन, गाड़ियों से क्लियर न हो जाए और ब्लाक उपकरण जहाँ उपलब्ध हो “ लाइन बंद” स्थिति में न कर दिये जाएं । यदि गाड़ी स्टेशन से प्रस्थान करने वाली हो तो सिग्नल एवं दूर संचार विभाग के कर्मचारी द्वारा ब्लाक उपकरण सिग्नलों की जाँच तब तक नहीं की जायेगी जब ऐसा करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न कर दिया जाए । इस प्रकार की अनुमति देने से पूर्व वह रूकी हुई गाड़ी के ड्राइवर को लिखित रूप में सूचित करेगा कि सिग्नल / सिग्नलों को रूकाव समझा जाए । सिग्नलों और ब्लाक उपकरणों की जाँच पूरी हो जाने तथा सिग्नल एवं दूर संचार कर्मचारी से रीकनेक्शन मेमो / पुनर्योजन मेमो प्राप्त हो जाने के बाद ब्लाक उपकरण और सिग्नलों को उपयोग में लाया जाएगा और सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जायेगा । रूकी हुई गाड़ी के ड्राइवर को भी इस आशय की सूचना दी जायेगी। |

सिगनल इंजीनियरी नियमावली भाग – II 2001 -

11.4

उपकरणों का वियोजन

| | |
|---------------------------------|--|
| सि.इं.नि. भाग II - 11.4.2 | अनुबंध – 3 में सूचीबद्ध परिस्थितियों में वियोजन नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उपयुक्त सावधानियां बरती जाएं. अन्य परिस्थितियों जब मरम्मत, बदलाव अथवा समंजन के लिए उसके प्रभार में किसी उपस्कर को वियोजन करना आवश्यक है, अनुरक्षक ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को फॉर्म एस एंड टी / डी एन (अनुबंध 2) में लिखित सूचित करेगा और कार्य आरंभ करने से पहले एवं पूरा होने के पश्चात उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा । |
| सि.इं.नि. भाग II - 11.4.3 | जब मरम्मत, बदलाव अथवा फेरबदल के लिए कांटा उपस्करों या सिगनलों को वियोजित करना आवश्यक है तो विषयगत लाइन को शासित करने वाले चेतावनी / दूरस्थ और रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में रखा जाए और कार्य पूरा होने तक निष्क्रिय (In-operative) कर दिया जाए । |
| सि.इं.नि. भाग II - 11.4.4 | अनुरक्षक अपनी सक्षमता के अंतर्गत अपने द्वारा खोले गए उपस्कर को अनिवार्यतः सीलबंद करेगा. |

सिगनल इंजीनियरी नियमानली भाग II - अनुबंध 3 दिया गया है ।

(सु रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे

अनुबंध 3 पैरा 11.4.2

| | |
|--|--|
| वे स्थितियां जिनमें वियोजन नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं बशर्ते उपयुक्त सावधानियां बरती गई हों :- | |
| ए.3.1 | कोई भौतिक / बिजली वियोजन किए बिना सफाई और अथवा स्नेहन / ग्रेफाइट का छिड़काव |
| i) | लीवर प्रेम तहखाना. |
| ii) | रिले कक्ष एवं बैटरी कक्ष. |
| iii) | उपकरण बक्सा / बैटरी बक्से / गुमटी. |
| iv) | चर्खी सहित उठान फाटक तंत्र. |
| v) | ढक्कन खोले बिना लीवर लॉक और सर्किट नियंत्रक. |
| vi) | कांटा मशीनों, सिगनल मोटरों, रिवर्सरों, उपकरण बक्सों और सं.चकों के ढक्कन खोलकर भीतरी उपस्करों का निरीक्षण और सफाई. |
| vii) | कांटे, सम्मुख कांटे लॉक और लॉक बॉर |
| viii) | क्रैंक, प्रतिकारक, गरारी, पहिए, रोलर स्टैंड, काउंटर वेट तथा लीवर |
| ix) | बिजली सप्लाई उपस्कर. |
| x) | विद्युत रोधन संयोजन |
| xi) | सिगनल के लैंस / राउंडेल्स, कांटा संसूच, ट्रेप संसूचक एवं शंट अनुमति संसूचक बशर्ते आवरण लैंसों द्वारा आगामी गाड़ी के ड्राइवर के लिए आभासी संकेतों की रोकथाम हो. |
| ए .3.2 | निम्नलिखित का परिक्षण |
| i) | रेलपथ पाशन, पहुँच पाशन, पश्च पाशन, संकेत पाशन, रूट रिलीज. |
| ii) | उपस्कर का वियोजन किए बिना धुरा काउंटर के विभिन्न पैरामीटरों की जांच करना. |
| iii) | बिजली सप्लाई उपस्कर. |
| iv) | लीवर प्रेम, स्टेशन मास्टर स्लाइड कंट्रोल प्रेम, सिगनल परिचालन, कांटा परिचालन, समपार फाटक एवं स्लॉट सर्किट. |
| v) | केवल लॉक के लिए अवरोध द्वारा कांटा परिक्षण. |
| vi) | जब रेलपथ अवरूद्ध न हो तो रेल परिपथ पैरामीटरों की जांच और परिक्षण. |
| vii) | रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की फोकसिंग बशर्ते आवरण लैंसों द्वारा आगामी गाड़ी के ड्राइवर के लिए आभासी संकेतों की रोकथाम हो. |
| ए.3.3 | निम्नलिखित का समंजन |
| i) | दोहरी तार द्वारा परिचालित कांटा संचरणों को छोड़कर तार संचरण. |
| ii) | निकटस्थ टर्मिनलों पर कोई लघुपरिपथ (shorts) किए बिना विद्युतरोधी औजारों का उपयोग करते हु ए टर्मिनलों को कसना. |
| ए.3.4 | निम्नलिखित का बदलाव |
| i) | बिजली लिगनव लैंप बशर्ते आवरण लैंसों द्वारा आगामी गाड़ी के ड्राइवर के लिए आभासी संकेतों की रोकथाम हो. |
| ii) | बाँड तार, एक बार में एक. |
| iii) | यातायात स्थिति के दृष्टिगत संभव होने के मामले में प्लग इन रिले. |
| iv) | संसूचक लैंप. |
| v) | पैनल के पुश बटन / स्विच / चॉबी |
| vi) | एक बार में एक लॉक बारक्लिप / बारस्टॉप. |
| vii) | जी. डी. ट्यूब. |
| viii) | प्यूज, एक बार में एक. |
| ix) | एक बार में एक तार एवं रॉड संचरण में गरारी, निम्नतम रोलर / शीर्षक रोलर और स्प्लिट पिन. |
| x) | मुख्य उपस्कर की सप्लाई का वियोजन किए बिना बैटरी / सेल. |